

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक - 6/वि01 -1069/2015 265 (म/10) दिनांक- 31/10/2017

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा/भागलपुर पश्चिम/ढाका।

विषय :- वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत भोजपुर, भागलपुर (लोक स्वा0 प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम) एवं पूर्वी चम्पारण (लो0 स्वा0 प्रमंडल, ढाका) जिला में सस्टेनेबल चापाकलों (इंडिया मार्क-॥ पम्प के साथ) के निर्माण हेतु रु0 195.00 लाख (एक करोड़ पंचानबे लाख रुपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य के 38 जिलों में 10897 सस्टेनेबल चापाकलों (इंडिया मार्क-॥ पम्प के साथ) के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक - 6/वि01 -1069/2015 -2574, दिनांक- 15.09.16 के द्वारा कुल रु0 6020.705 लाख (साठ करोड़ बीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत सस्टेनेबल चापाकलों (इंडिया मार्क-॥ पम्प के साथ) के निर्माण हेतु लोक स्वा0 प्रमंडल, आरा, भागलपुर पश्चिम एवं ढाका को रु0 195.00 लाख (एक करोड़ पंचानबे लाख रुपये मात्र) की राशि निम्न तालिका के अनुसार बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फण्ड से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	जिला का नाम	लो0 स्वा0 प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (अदद में)	विमुक्त राशि (लाख रुपये में)	
				कुल राशि (अंकों में)	शब्दों में
1	2	3	4	5	6
1	भोजपुर	आरा	228	68.00	अड़सठ लाख रुपये मात्र।
2	भागलपुर	भागलपुर पश्चिम	142	60.00	साठ लाख रुपये मात्र।
3	पूर्वी चम्पारण	ढाका	185	67.00	सड़सठ लाख रुपये मात्र।
कुल			555	195.00	एक करोड़ पंचानबे लाख रुपये मात्र।


3. इस विमुक्त राशि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ कुल 25 प्रतिशत की राशि सम्मिलित है।

4. बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही राशि को कार्यपालक अभियंता जमा शीर्ष- 8782 में जमा कर उसका उपयोग स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर करेंगे।

5. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन


(दिनेश्वर प्रो सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 6/वि01 -1069/2015 265(MO) पटना, दिनांक- 31/10/2017

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र, पटना/भागलपुर / मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, आरा/भागलपुर/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. प्रतिलिपि- सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रोग्राम फण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा, भागलपुर पश्चिम एवं ढाका को उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त की जाय।

3. प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता (मो0) को दो प्रतियों सहित/कार्यपालक अभियंता (मो0)-1 / कार्यपालक अभियंता (मो0)- 2 /सहायक अभियंता (मो0)/प्रभारी, डाटा सेन्टर / प्रशाखा पदाधिकारी- 6 /रोकडपाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाह सहायक प्रशाखा - 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रतिलिपि- आप्त सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रतिलिपि- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(दिनेश्वर प्रो सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव



